

Bctj  
CPO  
15

## सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रतापित प्राप्त

संख्या ८७

जन सूचना अधिकारी/सहयोग विभाग अधिकारी मालोदी

जहाँ से सूचना प्राप्त करनी हो कार्यालय/दिनांक का नाम - राष्ट्रीय शक्ति संस्थान

पूरा पता : राष्ट्रीय शक्ति संस्थान कानपुर - २०८०१७

आवेदक का नाम : दीपा शुक्ला

आवेदक का पत्ता : ३८/५७२ आषाढ़ार कानपुर - २०८००२

फोन/फैक्स/ई-मेल :

मांगी गयी सूचनाओं का विवरण

यह कि नेरन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम की निलंघ लक्ष्मी की अधिकारी (शक्ति औद्योगिकी) के पद पर कार्यरत हैं। श्री नेरन्द्र देव ने एि०.५३००३५६५ के ओपके संस्थान में नौकरी पायभी थी। उस समय कानपुर नेटवर्क में अन्त कर्मचारी के विकल्प ऊल कितने मुद्दों पर्नीकृत हो। क्या उन मुद्दों की जानकारी नेरन्द्र देव द्वारा आपके संस्थान को ल्हिये शब्द व्यापक विवित रूप में दी गई थी। शपथ पत्र/ घोषणा पत्र की सलाहित आते हैं।

थांडि सूचना किसी घारेवाड़ी से सापेक्ष हो तो उसका याह एवं वर्ण अकिञ्चित करें।

मान्य - १९९६

किसी एक को चिन्हित करें : १. दस्तावेज़ की प्रतिलिपि द्वाहिर।

2. निरीक्षण करना है।

भूमैना/जानकारी कौसे प्राप्त करना चाहेंगे स्वयं आकर जधा डॉक छार यहाँ लिखें अका द्वारा


यदि आवेदक BPL कार्ड धारक है उथवा गरीबी रखा। ये नीति जीवन चापन वारता है तो उसे कोई नहीं शुल्क नहीं लगाया द्वारा। परन्तु BPL प्रमाणपत्र की प्रति संतान करनी होगी।

मैं सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क के 10 लपटे का एक इपट/पास्टल अर्डर थेकर्स पे झार्डर/द्वेजरी भालांग/नेकद (एक नो चिन्हित करें) को साथ मैं संलग्न कर रहा हूँ जिनका नं. ३६०८५४६४५. दिनांक ५/५/१९९६। धन्यवाद संगवान्तर सूचनाये उपलब्ध करने की दृष्टा करें।

फिल्म - ०८/०५/१६

  
आवेदक द्वारा

पढ़ी फाउण्डेशन - 42



संख्या:25(52)/2016/RTI/53

## राष्ट्रीय शक्ति संस्थान

एक आई०एस०ओ० ९००१/२००८ प्रमाणित संस्थान  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512)2570575  
फैक्स : (0512) 2570247

कानपुर, दिनांक: 8.6.2016

सेवा में

सुश्री दीपा शुक्ला  
३८/१९२, आजाद नगर  
कानपुर नगर-२०८०१६

जारी  
संख्या ०६  
दिनांक १०/६/१६  
ऋग्नि

**विषय:** जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

आपके जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2016 के आवेदन, जिसमें आपने संस्थान के कर्मचारी श्री नरेन्द्र देव, पुत्र श्री राजाराम, कनिष्ठ उक्तनीकी अधिकारी, (शक्ति प्रौद्योगिकी) से संबंधित सूचना गाँगी है, का उत्तर/सूचना निम्नानुसार है :—

(1) कार्यभार ग्रहण करने के समय श्री नरेन्द्र देव के विरुद्ध कानपुर मण्डल में कितने मुकदमे पंजीकृत थे, इसकी जानकारी संस्थान के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

(2) श्री नरेन्द्र देव द्वारा संस्थान को किसी भी मुकदमे की सूचना नहीं दी गई है। इस संदर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि किसी भी सरकारी कर्गचारी को कोई शपथ पत्र अथवा धोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

उक्त सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अनुच्छेद 5(4) के तहत दी जा सकी है।

यदि आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं—

श्री नरेन्द्र मोहन,  
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी  
राष्ट्रीय शक्ति संस्थान,  
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग,  
कानपुर-२०८०१७

मंत्री  
(राकेश शुक्ला)  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

५८ अगस्त